संख्या-409/नौ-6-2016-1(5)/06

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
रामपुर।

नगर विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांकः 03 मार्च 2016

विषयः- **नगर पालिका परिषद रामपुर में स्वीकृत 22 वाहन चालकों के अस्थायी पदों की वित्तीय वर्ष 2016-17 की क्रमागत निरन्तरता के संबंध मे।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रामपुर के पत्र संख्या-1059/एच0ओ0(डी) दिनांक 02.02.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल द्वारा नगर पालिका परिषद रामपुर में वाहन चालन के 22 अस्थायी पदों को, जो कि शासनादेश संख्या-1474/नौ-6-6-1(5)06 दिनांक 28.08.2006 द्वारा वेतनमान रू0 3050-75-3950-80-4590 में सृजित किये गये थे तथा शासनादेश संख्या- 292/नौ-6-15-1 (5)/06 दिनांक 18.02.2015 द्वारा दिनांक 29.02.2016 तक निरन्तरता बनाये रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, को पूर्व निर्धारित निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01.03.2016 से दिनांक 28.02.2017 तक निरन्तरता बनाये रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

2. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाले व्यय का वहन नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के भी अधीन है कि उक्त पदों हेतु आवश्यक धनराशि नगर पालिका परिषद रामपुर में नियमानुसार उपलब्ध है।

4. उक्त अवधि हेतु प्रदान की गयी निरन्तरता मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या- 59524/2011 नरेश कुमार व अन्य बनाम उ.प्र. व अन्य राज्य तथा रिट याचिका संख्या-55941/2011 सूरज पाल बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

भवदीय

01/3/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

rs go

<u>संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
(4) अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रामपुर।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
अनु सचिव

r: rs go